# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

**वादीगण –**

1. शकुन्तला कंवर पत्नि बृजपालसिंह जाति राजपूत उम्र 50 वर्ष निवासी पांचोता तहसील नावां।
2. विक्रमसिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति राजपूत उम्र 55 वर्ष निवासी पांचोता तहसील नावां।
3. भगवती देवी पुत्री राधाकिशन जाति ब्राह्मण उम्र 60 वर्ष हाल निवासी सीकर जरिये आम मुख्तयार बृजपालसिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति राजपूत उम्र 57 वर्ष निवासी पांचोता तहसील नावां।

**बनाम**

**प्रतिवादीगण –**

1. मूलाराम पुत्र कालुराम जाति जाट (जाखड़) उम्र 52 वर्ष निवासी अजीतपुरा तहसील नावां।
2. मुकेश पुत्र मुलाराम जाति जाट (जाखड़) उम्र 28 वर्ष निवासी अजीतपुरा तहसील नावां।
3. कमलेश पुत्र मुलाराम जाति जाट (जाखड़) उम्र 23 वर्ष निवासी अजीतपुरा तहसील नावां।
4. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां।

<u>दावा वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट</u>

उपस्थित :– श्री हरिराम गुर्जर अधिवक्ता वादीगण

मुकदमा नम्बरः– 65/2021 निर्णय दिनांकः– 28.12.2023

## निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादगीण ग्राम पांचोता के मूल निवासी हैं। वादीगण की खातेदार एवं कब्ज काश्त की आराजी कृषि भूमि ग्राम केरियावास पटवार हल्का मारोठ तहसील नावां की सरहद में आयी हुई जिसका वादीगण शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादीगण ने राजस्व ग्राम केरियावास के खसरा नम्बर 51 रकबा 2.66 हैक्टर भूमि आज से 15 वर्ष पूर्व तत्कालिन खातेदारान से जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा बतौर प्रतिफल खरीद कर विक्रित भू–भाग का कब्जा उसी दिवस तत्कालिन खातेदारान/विक्रेता से प्राप्त कर लिया था तब से वादीगण उक्त आराजी पर निरंतर एवं निर्विवाद रूप से काबिज खातेदार कृषक चले आ रहे है। वादीगण ने उक्त भूमि पर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा नावां से इस भूमि पर कृषि ऋण केसीसी भी प्राप्त कर रखा है। उक्त बैंक की शाखा द्वारा वादीगण को ऋण स्वीकृत करते समय भौतिक कब्जा की जांच कर वादीगण को ऋण स्वीकृत किया गया था। उक्त भूमि में वादीगण कभी भी काश्त करते है तथा कभी दूसरों को

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:43:05 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

हासल पर काश्त हेतु देते है तथा उक्त भूमि से होने वाली आय जिन्स व कुदरती पैदावार को वादीगण वर्ष प्रतिवर्ष प्राप्त करते रहते है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 इस बात को लेकर वादीगण से नाराज है कि इन्होंने अपने खेत के दक्षिणी पडोसी श्री धन्नाराम किरडोलिया जाति जाट को रास्ता उसके खेत में आने जाने के लिए दे दिया जिसकी रजिस्ट्री करवा दी है मौके पर वादीगण ने कातला गडाकर 10 फुट का रास्ता क्रेता को कब्जा सहित सम्भला दिया है। इस बात को लेकर प्रतिवादीगण नाराज हो चुके है क्योंकि इनके रिश्तेदार बाजिया की ढाणी में रहते है जिस ढाणी के पास में उक्त जमीन स्थित है, रास्ता क्रेता एवं बाजियों के मध्य फौजदारी मुकदमा चल रहा है। जिसकी वजह से उक्त प्रतिवादीगण वादीगण से रंजिश रख रहे है। उक्त प्रतिवादीगण का वादीगण की खातेदारी भूमि से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ना ही खेत के पडौसी है, ना ही संयुक्त खातेदारी के सदस्य है, दूर स्थित गांव अजीतपुरा के रहने वाले है, जो उक्त भूमि से चार पांच किलोमीटर दूर है अपने संबंधि बाजियों के बहकावें में आकर आये दिन झगडा फिसाद करते रहते है। जबरदस्ती वादीगण को परेशान कर रहे है। मौका पाकर प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त खेत में से छडिया ले जाते है, खेत की मेड को तोड जाते है तथा ऐलानिया धमकी देते रहते है कि हम भविष्य में खेती नहीं करने देंगे। वादीगण झगडालु प्रवृति के व्यक्ति है, वादीगण के खेत के पास प्रतिवादीगण के सगा संबंधियों की ढाणी है। सगा संबंधियों के जोर में आकर कुछ न कुछ वारदात करते रहते है। प्रतिवादीगण ने नाजायज गिरोह बना रखा है। वादीगण सभ्य समाज के लागे है झगडा नहीं चाहते है लेकिन प्रतिवादीगण जबरदस्ती वादीगण की भूमि को विवादित बनाना चाहते है। प्रतिवादीगण को मुख्य उद्देश्य वादीगण को परेशान करके उक्त खातेदारी भूमि को रास्ते दामों पर उसके सगे संबंधियों को दिलवाना चाहते है, लेकिन वादीगण अपनी भूमि को सस्ते दामों पर बैचने के लिए तैयार नहीं है। वादीगण का निवास उक्त भूमि से थोडा दूर है जिसका भी नाजायज फायदा प्रतिवादीगण उठाना चाहते है। दिनांक 21.02.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 अपने दोनो लडको व अन्य साथियों को ले गया और गेट के पास लगे हुए चार जोधपुरी कातलों को मुझ आम मुख्यत्यारी के सामने ही जबरदस्ती ट्रेक्टर ट्रॉली में डालकर ले गये तथा लोहे के गेट को नुकसान पहुंचा दिया तथा सभी गाली गलोच कर गये औ एलानियां धमकी दे गये कि यह जमीन हमारी है, तुम क्या मांगते हो। आम मुख्यत्यारी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध एक इस्तगासा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नावां के द्वारा पी.एस. मारोठ भिजवाया जिसकी एफआईआर संख्या 33/2021 है, जो आज दिन विचाराधीन है। प्रतिवादीगण ने उक्त वादीगा की खातेदारी की भूमि को खुर्द बुर्द करने व नाजायज कब्जा करने की मंशा बना रखी है। ग्राम [illegible] पटवार हल्का मारोठ तहसील नावां के नवीन खसरा नम्बर 51 रकबा 2.06 हैक्टर भूमि [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ना तो स्वयं और ना ही अपने एजेन्टों के मार्फत वादीगण [illegible] कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि में दखलंदाजी नहीं करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को पाबंद फरमाने एवं इस अमर की बहक वादीगण [illegible] विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 डिक्री फरमाने की इस्तदुआ की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:43:05 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

वादीगण का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 4 का तामील शुदा सम्मन प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 2 अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के सम्मन जरिये पंजीकृत डाक भिजवाये जाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादीया शकुन्तला कंवर का मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया तथा वादीया ने अपने वादपत्र में चालू जमाबंदी प्रदर्श 1 व मौका रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श 2 है। ओर साक्ष्य वादी पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बंद की गई।

अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार ग्राम केरियावास पटवार हल्का मारोठ तहसील नावां के नवीन खसरा नम्बर 51 रकबा 2.66 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि का वादीगण रिकॉर्डेड खातेदार हैं एवं वादीगण की खातेदारी पृथक से दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का किसी प्रकार का स्वामित्व होने बाबत कोई तथ्य एवं साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं इसलिए वादीगण की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

## आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता हैं कि ग्राम केरियावास पटवार हल्का मारोठ तहसील नावां के नवीन खसरा नम्बर 51 रकबा 2.66 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वयं अथवा अपने एजेन्टों के माध्यम से किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.12.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:43:05 IST
Reason: SelfAttested

अदालतः— **उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.**
अज अदालत :— श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

**वादीगण —**

1. शकुन्तला कंवर पत्नि बृजपालसिंह जाति राजपूत उम्र 50 वर्ष निवासी पांचोता तहसील नावां।
2. विक्रमसिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति राजपूत उम्र 55 वर्ष निवासी पांचोता तहसील नावां।
3. भगवती देवी पुत्री राधाकिशन जाति ब्राह्मण उम्र 60 वर्ष हाल निवासी सीकर जरिये आम मुख्तयार बृजपालसिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति राजपूत उम्र 57 वर्ष निवासी पांचोता तहसील नावां।

**बनाम**

**प्रतिवादीगण —**

1. मूलाराम पुत्र कालुराम जाति जाट (जाखड़) उम्र 52 वर्ष निवासी अजीतपुरा तहसील नावां।
2. मुकेश पुत्र मुलाराम जाति जाट (जाखड़) उम्र 28 वर्ष निवासी अजीतपुरा तहसील नावां।
3. कमलेश पुत्र मुलाराम जाति जाट (जाखड़) उम्र 23 वर्ष निवासी अजीतपुरा तहसील नावां।
4. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां।

**निर्णय दिनांक** :— 28.12.2023

**मुकदमां नम्बर** :— 65 / 2021

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री हरिराम गुर्जर अधिवक्ता वादीगण को डिक्री दी जाती हैं कि :—

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता हैं कि ग्राम केरियावास पटवार हल्का मारोठ तहसील नावां के नवीन खसरा नम्बर 51 रकबा 2.66 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वयं अथवा अपने एजेन्टों के माध्यम से किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.12.2023 को जारी की गई।

दस्तखतः

मुहर      ओहदा : उपखण्ड अधिकारी नावां

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

| मुदई | रूपये | पैसे | मुदायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>महन्ताना वकील<br>खर्चा गाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरीक | NIL | NIL | स्टाम्प अर्जीदावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>महन्ताना वकील<br>खर्चा गाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरीक | NIL | NIL |
| मीलान | NIL | NIL | | NIL | NIL |

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:43:05 IST
Reason: SelfAttested